2026 Volume: 02 Issue: 11 www.ijrpa.com ISSN 2456-9995 Research Article

International Journal Research Publication Analysis

Page: 01-15

हाशिए से मुख्यधारा तक: LGBTQ+ समुदाय की चुनौतियाँ, अधिकार और नया सवेरा

[*1]सत्य नरायन यादव, सहायक प्राध्यापक, (शिक्षा विभाग) [2]सहायक प्राध्यापिका, प्रज्ञा ओझा (हिंदी विभाग)

[*1]एस. जी. बी. वाई. एस. एस. महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केंद्र, बोरावां (खरगोन), म. प्र. 451228

[2]हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 221001

Article Received: 22 September 2026
Article Revised: 12 October 2026
Published on: 01 November 2026

***Corresponding Author: सत्य नरायन यादव**

एस. जी. बी. वाई. एस. एस. महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केंद्र, बोरावां (खरगोन), म. प्र. 451228

DOI: https://doi-doi.org/101555/ijrpa.9530

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय समाज में LGBTQ+ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर एवं अन्य) समुदाय की ऐतिहासिक स्थिति, सामाजिक-कानूनी चुनौतियों, मानवाधिकारों और उनके मुख्यधारा में समावेशन की दिशा का विशद अध्ययन प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृति और पौराणिक आख्यानों में लैंगिक तथा यौनिक विविधता के प्रमाण मिलते हैं, किंतु औपनिवेशिक काल के दमनकारी कानूनों विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 ने इस समुदाय को समाज के अंतिम पायदान पर धकेल दिया।

यह शोध पत्र सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे NALSA निर्णय 2014, नवतेज सिंह जौहर मामला 2018, तथा सुप्रीमो चक्रवर्ती मामला 2023) का गुणात्मक विश्लेषण करते हुए यह उजागर करता है कि केवल वि-अपराधीकरण (Decriminalization) ही पूर्ण समानता की गारंटी नहीं है। आज भी यह समुदाय पारिवारिक तिरस्कार, शिक्षा एवं रोजगार में भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, मानसिक तनाव और विवाह एवं गोद लेने जैसे नागरिक अधिकारों के अभाव से जूझ रहा है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा केस स्टडीज़ पर आधारित है। शोध के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि एक समावेशी भारत के निर्माण के लिए विधायी सुधारों के साथ-साथ शैक्षणिक पाठ्यचर्या में बदलाव, संवेदीकरण (Sensitization) और संस्थागत सहयोग अत्यंत आवश्यक हैं।

बीज शब्द: LGBTQ+, धारा 377, नालसा निर्णय, समलैंगिकता, समावेशी शिक्षा, मानवाधिकार, जेंडर पहचान, सामाजिक समावेशन।

1.प्रस्तावना

मानव अधिकार और सामाजिक न्याय आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो मूलभूत स्तंभ हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सभ्यता की वास्तविक माप केवल उसकी आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं की जा सकती; बल्कि इस बात से तय होती है कि वह अपने सबसे वंचित, शोषित और हाशिए पर स्थित वर्गों के अधिकारों, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा किस प्रकार करता है। लोकतंत्र की आत्मा केवल बहुसंख्यक वर्ग के कल्याण में निहित नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक व्यक्ति को भी भयमुक्त वातावरण में सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करने में बसती है। इसी दार्शनिक और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में, जब हम लैंगिक और यौनिक अल्पसंख्यकों जिन्हें व्यापक रूप से LGBTQ+ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर एवं अन्य) समुदाय के रूप में जाना जाता है की स्थिति का अवलोकन करते हैं, तो यह कड़वा सच सामने आता है कि वे सदियों से पूर्वाग्रहों, संस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के चक्रव्यूह का शिकार रहे हैं। मनुष्य की पहचान केवल उसकी शारीरिक संरचना या जन्मजात जैविक विशेषताओं तक सीमित नहीं होती। उसकी यौन अभिव्यक्ति (Sexual Orientation) और लैंगिक पहचान (Gender Identity) उसके अस्तित्व, चेतना और व्यक्तित्व के सबसे गहरे तथा अभिन्न अंग हैं। किसी भी सभ्य समाज में हर व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से जी सके और जिसे चाहे प्रेम कर सके। जब समाज, कानून या पारिवारिक संस्थाएँ किसी व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक पहचान, अभिव्यक्ति या प्रेम के कारण प्रताड़ित करती हैं, उसे समाज से बेदखल करती हैं या उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करती हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति विशेष पर किया गया अत्याचार नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के मौलिक मानवाधिकारों, मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक गरिमा का खुला उल्लंघन होता है।

इस शोध पत्र में LGBTQ+ समुदाय के ऐतिहासिक संघर्ष, उनके सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों, भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों और उन्हें समाज की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ स्थापित करने के रोडमैप का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारतीय ग्रंथों और औपनिवेशिक काल के प्रभावों का अवलोकन करते हुए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, परिवार, शिक्षा प्रणाली, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में समुदाय को झेलनी पड़ने वाली दैनिक कठिनाइयों का मूल्यांकन किया गया है, NALSA

(2014), पुट्टस्वामी (2017) और नवतेज सिंह जौहर (2018) जैसे ऐतिहासिक न्यायिक पड़ावों की समीक्षा की गई है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और मानवाधिकारों के आलोक में इस वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए व्यावहारिक सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत किए गए हैं।

2. शोध की पृष्ठभूमि

पारंपरिक रूढ़िवादी समाजों में 'द्विआधारी जेंडर संरचना' (Binary Gender Model) को ही एकमात्र प्राकृतिक सत्य मान लिया गया, जहाँ केवल 'पुरुष' और 'स्त्री' की विषमलैंगिक (Heterosexual) अवधारणा को स्वीकार्यता मिली। इस संकीर्ण दृष्टिकोण ने उन सभी व्यक्तियों को असाधारण, असामाजिक या 'अप्राकृतिक' की श्रेणी में रख दिया जो इस ढांचे में फिट नहीं बैठते थे।

भारतीय संदर्भ में, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1860 में लागू की गई भारतीय दंड संहिता की धारा 377 ने प्राकृतिक यौन विविधता को अपराध बना दिया। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष और समतावादी संविधान को अपनाया, किंतु LGBTQ+ समुदाय को अपनी पहचान की वैधानिक मान्यता प्राप्त करने में सात दशक से अधिक का समय लग गया।

3. शोध की आवश्यकता एवं औचित्य

वर्ष 2018 में धारा 377 के आंशिक निरस्तीकरण के बावजूद, LGBTQ+ समुदाय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया है। कानूनी सुधार और सामाजिक स्वीकार्यता के बीच एक गहरी खाई (Gap) मौजूद है। इस खाई को समझने और नीतिगत समाधान खोजने के लिए एक गहन अकादमिक और व्यावहारिक शोध की आवश्यकता है।

4. शोध प्रश्न

1. भारतीय संस्कृति और इतिहास में LGBTQ+ समुदाय की स्थिति किस प्रकार परिवर्तित हुई है?
2. वर्तमान भारतीय समाज में LGBTQ+ समुदाय को किन-किन सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3. सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों का इस समुदाय के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है?
4. इस समुदाय को हाशिए से उठाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए व्यावहारिक एवं नीतिगत ढांचा क्या होना चाहिए?

5.शोध के उद्देश्य

1. LGBTQ+ समुदाय की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना।
2. समुदाय के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों (शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार) को रेखांकित करना।
3. भारत में वैधानिक और न्यायिक सुधारों की यात्रा तथा उनकी सीमाओं का मूल्यांकन करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और मानवाधिकार सिद्धांतों के आलोक में समावेशन हेतु अनुशंसित कदम प्रस्तुत करना।

6.साहित्य समीक्षा

LGBTQ+ अध्ययन और मानवाधिकारों पर वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ में व्यापक शोध उपलब्ध हैं। प्रस्तुत समीक्षा प्रमुख अध्ययनों और कानूनी ग्रंथों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है:

6.1 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण

- **पट्टनायक (2014)** ने अपनी कृति *'शिखंडी एंड अदर टेल्स दैंट टेल यू'* में स्पष्ट किया कि प्राचीन भारतीय महाकाव्यों और ग्रंथों (जैसे महाभारत और पद्म पुराण) में लैंगिक और यौनिक विविधता को सहज रूप से स्वीकार किया गया था।
- **वात्स्यायन कृत कामसूत्र** में 'तृतीय प्रकृति' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो यह सिद्ध करता है कि समलैंगिकता या विविध लैंगिक अभिव्यक्तियाँ भारत के लिए कोई 'पश्चिमी आयात' (Western Import) नहीं हैं।

6.2 कानूनी और मानवाधिकार संबंधी अध्ययन

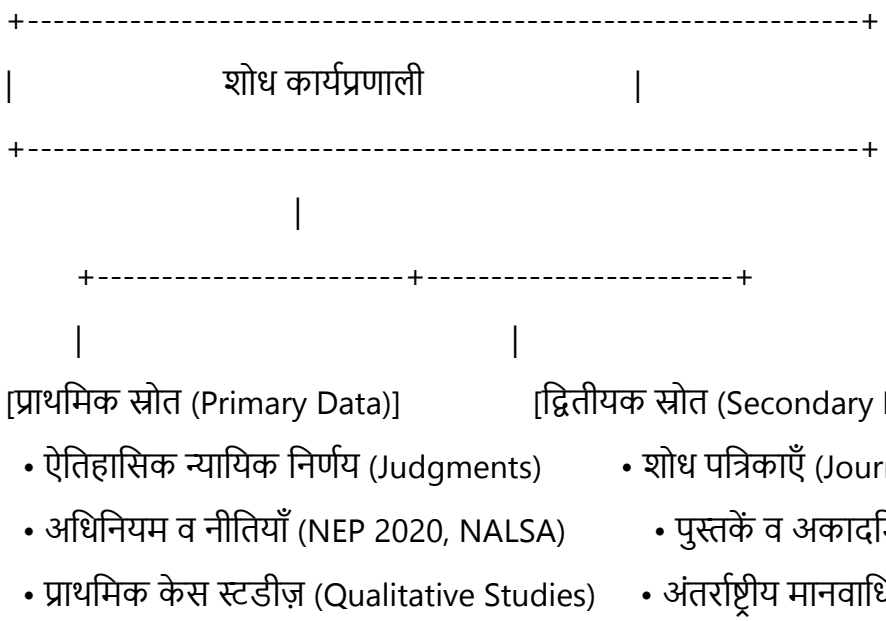
- **बक्शी (2018)** ने अपने पत्र में तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल की धारा 377 ने विक्टोरियन नैतिकता (Victorian Morality) को भारतीय समाज पर थोपा, जिससे भारतीय संस्कृति की मूल समावेशी भावना नष्ट हुई।
- **नारायण एवं गुप्ता (2020)** ने सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जौहर निर्णय (2018) का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अपराध श्रेणी से बाहर करना (Decriminalization) प्रथम चरण है, किंतु नागरिक अधिकारों (विवाह, गोद लेना) की प्राप्ति के बिना पूर्ण नागरिकता (Full Citizenship) असंभव है।

6.3 सामाजिक और शैक्षणिक परिदृश्य

- **यूनेस्को रिपोर्ट (2019)** के अनुसार, दक्षिण एशिया के शिक्षण संस्थानों में LGBTQ+ युवाओं को 'बुलीइंग' (Bullying) और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण 70% से अधिक छात्र मानसिक तनाव झेलते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- **शर्मा (2022)** ने अपने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर और क्वीर व्यक्तियों के पास आजीविका के कोई औपचारिक साधन न होने के कारण वे आर्थिक विषमता और सामाजिक बहिष्कार के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं।

7. शोध कार्यप्रणाली

प्रस्तुत शोध पत्र में विषय की संवेदनशीलता और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए **गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि (Qualitative and Analytical Research Methodology)** का प्रयोग किया गया है।



7.1 आंकड़ों के स्रोत

1. प्राथमिक स्रोत: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (NALSA 2014, नवतेज सिंह जौहर 2018, सुप्रीमो चक्रवर्ती 2023), ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नीतियाँ।

2. द्वितीयक स्रोत: सहकर्मी-समीक्षित शोध पत्रिकाएँ (Peer-reviewed journals), समाजशास्त्रीय पुस्तकें, यूनेस्को व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्टें और केस स्टडीज़।

7.2 विश्लेषण की पद्धति

प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण **विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis)** तथा **संवैधानिक न्यायशास्त्र (Constitutional Jurisprudence)** के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। शोध में यह देखने का प्रयास किया गया है कि कानूनी अधिकार धरातल पर सामाजिक वास्तविकताओं में किस सीमा तक रूपांतरित हो पाए हैं।

8. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ

यह धारणा कि LGBTQ+ अवधारणा भारत के लिए विदेशी है, ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय समाज में विविधता को स्वीकार्यता प्राप्त थी।

8.1 प्राचीन ग्रंथ और महाकाव्य

- **महाभारत:** महाभारत में 'शिखंडी' का चरित्र लैंगिक विविधता का एक प्रमुख उदाहरण है, जिनका युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अतिरिक्त, अर्जुन का 'बृहन्नला' रूप में एक वर्ष बिताना जेंडर तरलता (Gender Fluidity) को दर्शाता है।
- **वैदिक व पौराणिक साहित्य:** 'तृतीय प्रकृति' (Third Gender) का उल्लेख व्याकरणविद् पतंजलि के महाभाष्य और चरक संहिता में स्पष्ट रूप से मिलता है, जहाँ इसे एक प्राकृतिक जैविक स्थिति माना गया है।



8.2 स्थापत्य कला और मध्यकालीन इतिहास

- **स्थापत्य कला:** खजुराहो, कोणार्क और एलोरा के मंदिरों की मूर्तियों पर समलैंगिक और विविध कामुक अभिव्यक्तियों का अंकन यह सिद्ध करता है कि मध्यकाल से पूर्व समाज में यौनिकता को लेकर खुलापन था।
- **मुगल काल:** मुगल दरबारों में किन्नरों (Hijras/Eunuchs) को उच्च प्रशासनिक, सुरक्षात्मक और सलाहकार पदों पर रखा जाता था। उन्हें सामाजिक सम्मान और राजकीय संरक्षण प्राप्त था।

8.3 औपनिवेशिक काल और विक्टोरियन नैतिकता का प्रभाव

1860 में ब्रिटिश शासन ने भारतीय दंड संहिता लागू की। थॉमस मैकाले द्वारा तैयार की गई धारा 377 के तहत "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध" (Against the order of nature) किए गए शारीरिक संबंधों को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, **क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871)** के तहत हिजड़ा समुदाय को 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया गया। यहीं से LGBTQ+ समुदाय का सुनियोजित सामाजिक और कानूनी दमन प्रारंभ हुआ।

9. LGBTQ+ समुदाय की प्रमुख चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के दशकों बाद भी LGBTQ+ समुदाय का जीवन अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इन चुनौतियों को निम्नलिखित श्रेणियों में समझा जा सकता है:

9.1 पारिवारिक और सामाजिक अस्वीकृति

किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार सुरक्षा का पहला कवच होता है। किंतु LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए परिवार ही अक्सर उत्पीड़न का पहला केंद्र बन जाता है।

- **कमिंग आउट (Coming Out) का डर:** अपनी वास्तविक पहचान उजागर करने पर युवाओं को घर में हिंसा, जबरन शादी (Corrective Marriages), या घर से निकाल दिए जाने का भय रहता है।
- **सामाजिक कलंक (Social Stigma):** समाज में इस समुदाय को 'असामान्य', 'पाप' या 'बीमारी' के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण और छोटे शहरों में स्थिति और भी विकट है।

9.2 शिक्षा प्रणाली में विषमता और उत्पीड़न

शिक्षा क्षेत्र में संवेदनशीलता का घोर अभाव है:

- **विद्यालयी हिंसा और बुलीइंग:** क्वीर या ट्रांसजेंडर बच्चों को सहपाठियों और शिक्षकों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।
- **ड्रॉपआउट दर:** प्रताड़ना के कारण ऐसे छात्रों के बीच स्कूल/कॉलेज छोड़ने की दर अत्यधिक उच्च है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

9.3 आर्थिक और रोजगार संबंधी चुनौतियाँ

क्षेत्र	चुनौतियाँ और प्रभाव
औपचारिक रोजगार	भर्ती प्रक्रिया में जेंडर भेदभाव, कार्यस्थल पर सुरक्षा और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
असंगठित क्षेत्र	आजीविका के विकल्प न होने के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय मजबूरी में बधाई मांगने, भीख मांगने या असुरक्षित यौन कार्य में संलग्न।
आवास की समस्या	पहचान उजागर होने पर मकान मालिकों द्वारा किराए पर मकान न देना या बेदखल कर देना।

9.4 स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ

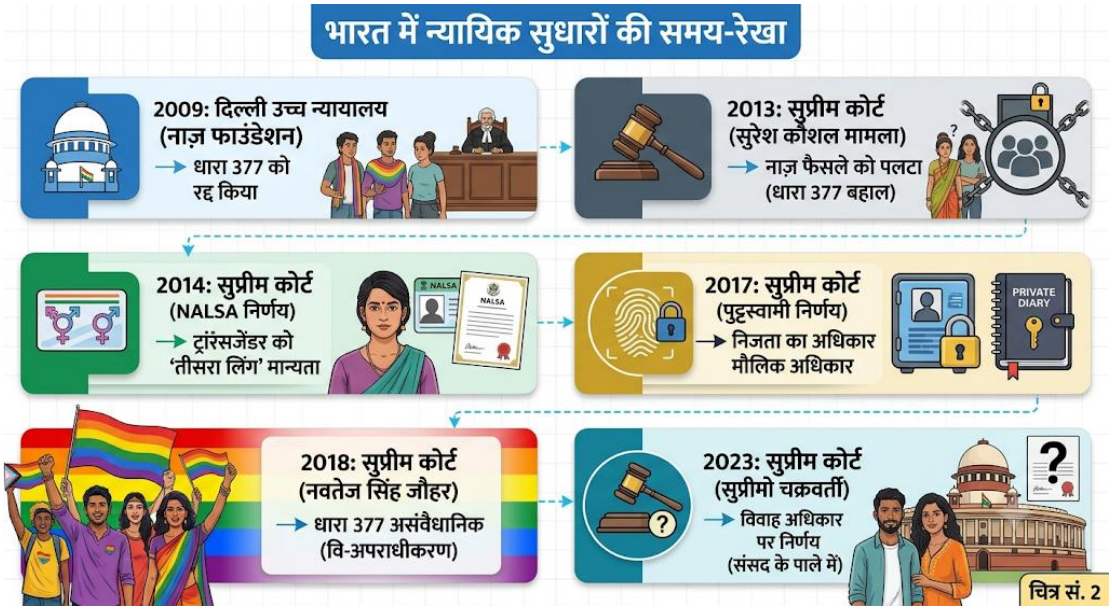
1. चिकित्सा क्षेत्र में संवेदीकरण का अभाव: डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों में LGBTQ+ स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे जेंडर एफ़र्मिंग केयर, हार्मोन थेरेपी) के प्रति वैज्ञानिक समझ की कमी।

2. मानसिक तनाव और आत्महत्याएँ: निरंतर उपेक्षा, अलगाव और हिंसा के कारण इस समुदाय के युवाओं में अवसाद (Depression) और आत्महत्या (Suicide) की दर सामान्य आबादी से तीन से चार गुना अधिक है।

3. रूपांतरण चिकित्सा (Conversion Therapy): यह एक छद्म-वैज्ञानिक और अमानवीय प्रथा है जहाँ झाड़-फूंक, बिजली के झटके या दवाओं के माध्यम से व्यक्ति की यौनिकता बदलने का प्रयास किया जाता है, जो मानसिक रूप से अपंग बना देता है।

10. कानूनी और न्यायिक यात्रा

भारत में LGBTQ+ अधिकारों का इतिहास न्यायपालिका के साहसिक निर्णयों का इतिहास रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) को 'सामाजिक नैतिकता' (Social Morality) से ऊपर रखते हुए कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं।



10.1 NALSA बनाम भारत संघ (2014)

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' (Third Gender)** के रूप में मान्यता दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी समान रूप से प्राप्त हैं। उन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण व सुविधाएँ देने का निर्देश दिया गया।

10.2 के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)

नौ जजों की पीठ ने **निजता के अधिकार (Right to Privacy)** को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का अभिन्न हिस्सा है।

10.3 नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से **IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त** कर दिया।

- **तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा** ने कहा: *"कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान से भाग नहीं सकता। सामाजिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता के आगे झुकना होगा।"*
- इस निर्णय से वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

10.4 सुप्रीमो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023) एवं सीमाएँ

अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता (Special Marriage Act के तहत) देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि विवाह के कानून में बदलाव करना विधायिका

(संसद) का क्षेत्र है। यद्यपि कोर्ट ने क्वीर जोड़ों को भेदभाव से बचाने और उनके बुनियादी अधिकारों (जैसे बैंक खाते, बीमा में नामांकन) को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक कैबिनेट समिति गठित करने का निर्देश दिया, किंतु विवाह और गोद लेने का अधिकार न मिलना समुदाय के लिए एक बड़ी विफलता रही।

11. व्यावहारिक केस स्टडीज़

सिद्धान्तों की प्रामाणिकता हेतु वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस स्टडीज़ का अध्ययन आवश्यक है:

11.1 केस स्टडी 1: पारिवारिक निष्कासन और आर्थिक पुनर्वास (पुणे, महाराष्ट्र)

- **विवरण:** 22 वर्षीय ऋषभ (काल्पनिक नाम) ने जब अपने परिवार के सामने 'गे' (Gay) होने की बात स्वीकार की, तो उसे घर से निकाल दिया गया और उसकी कॉलेज की फीस रोक दी गई।
- **परिणाम:** उसने एक स्थानीय एनजीओ की सहायता से आश्रय लिया और कॉल सेंटर में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। यह मामला दर्शाता है कि कैसे पारिवारिक सहयोग न मिलने पर सक्षम युवा भी एकाएक संकट में आ जाते हैं।

11.2 केस स्टडी 2: कार्यस्थल पर पहचान और सफलता (लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी)

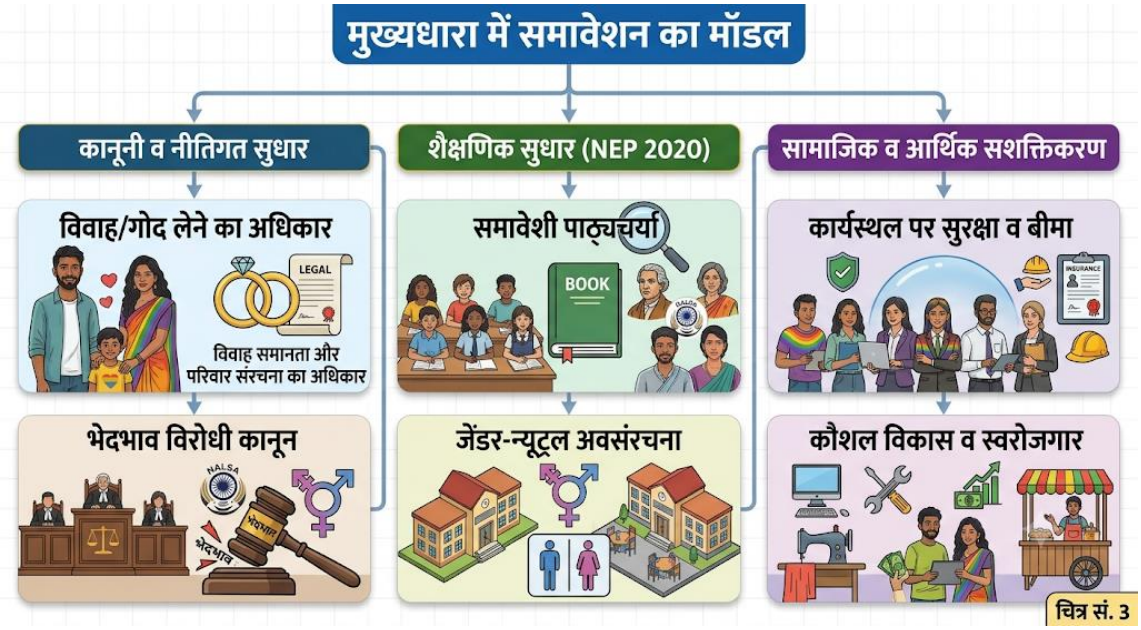
- **विवरण:** प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सामाजिक ताणों और बहिष्कारों का सामना करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज़ को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) पर उठाया।
- **परिणाम:** उनके प्रयासों ने NALSA निर्णय की नींव रखी और यह सिद्ध किया कि यदि अवसर मिले तो यह समुदाय समाज का कुशल नेतृत्व कर सकता है।

11.3 केस स्टडी 3: कॉर्पोरेट समावेशन का सफल मॉडल

- **विवरण:** भारत की कुछ अग्रणी कंपनियों (जैसे टाटा स्टील, विप्रो और गोदरेज) ने अपनी एचआर नीतियों में बदलाव करते हुए 'समान अवसर नीति' लागू की। उन्होंने अपने कर्मचारियों के समलैंगिक पार्टनर को भी स्वास्थ्य बीमा और जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम की सुविधा प्रदान की।
- **निष्कर्ष:** यह केस स्टडी दर्शाती है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में नीतिगत इच्छाशक्ति से समावेशी माहौल तैयार किया जा सकता है।

12. मुख्यधारा में समावेशन का ढांचा

LGBTQ+ समुदाय को हाशिए से निकालकर समाज की मुख्यधारा में स्थापित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।



2.1 शैक्षणिक सुधार और NEP 2020 की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) 'समानता और समावेशन' पर बल देती है। इसे धरातल पर उतारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

1. **जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या:** पाठ्यपुस्तकों में पारंपरिक द्विआधारी सोच से हटकर जेंडर विविधता और क्वीर इतिहास के अध्यायों को शामिल किया जाए।
2. **शिक्षक संवेदीकरण (Teacher Sensitization):** बी.एड. (B.Ed.) और एम.एड. (M.Ed.) के पाठ्यक्रमों में LGBTQ+ संवेदीकरण को अनिवार्य मॉड्यूल बनाया जाए।
3. **सुरक्षित वातावरण:** स्कूलों में 'एंटी-बुलीइंग सेल' का गठन हो और जेंडर-न्यूट्रल शौचालयों का निर्माण किया जाए।

12.2 सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

- **कौशल विकास:** केंद्र व राज्य सरकारें ट्रांसजेंडर और क्वीर युवाओं के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएँ।
- **आरक्षण और प्रोत्साहन:** NALSA निर्णय के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) प्रदान किया जाए।

12.3 कानूनी और संस्थागत ढांचा

1. **व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून (Comprehensive Anti-Discrimination Law):** एक ऐसा कानून बनाया जाए जो आवास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को दंडनीय अपराध घोषित करे।

2. **नागरिक अधिकारों की पूर्णता:** समलैंगिक जोड़ों को विवाह, संपत्ति में उत्तराधिकार और बच्चों को गोद लेने के कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएँ।

13. भावी संभावनाएँ एवं सुझाव

एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए निम्नलिखित अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम अनुशंसित हैं:

13.1 अल्पकालिक सुझाव

1. **स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण:** मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर डॉक्टरों को LGBTQ+ अनुकूल इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

2. **रूपांतरण चिकित्सा पर प्रतिबंध:** पूरे देश में 'कन्वर्टिव थेरेपी' पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसा करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएँ।

3. **हेल्पलाइन और आश्रय गृह:** संकटग्रस्त क्वीर युवाओं के लिए जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन और 'गरिमा गृह' (Shelter Homes) की स्थापना की जाए।

13.2 दीर्घकालिक सुझाव

1. **संस्थागत संवेदीकरण:** पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका और सरकारी तंत्र को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन हो।

2. **मिडिया की भूमिका:** सिनेमा और डिजिटल मीडिया को क्वीर पात्रों का हास्यास्पद चित्रण बंद कर उनके वास्तविक संघर्षों और सामान्य जीवन को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना चाहिए।

3. **सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नागरिक समाजों (Civil Societies) के माध्यम से जेंडर समानता हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

14. निष्कर्ष

'हाशिए से मुख्यधारा तक' की यह लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा केवल कुछ कानूनी धाराओं के बदल जाने या अदालतों के कुछेक ऐतिहासिक आदेशों से पूरी नहीं हो सकती; इसके लिए समाज के हृदय, मानस और सोच का मौलिक रूप से बदलना अनिवार्य है। कानून समाज को एक निश्चित दिशा और सुरक्षा तो

प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे लोगों के दिलों में बसे पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को स्वतः समाप्त नहीं कर सकते। भारत का संविधान अपने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा का पावन वचन देता है। संविधान की यह प्रस्तावना और उसके मौलिक अधिकार तब तक अधूरे और अर्थहीन हैं, जब तक कि देश का एक भी नागरिक केवल अपनी स्वाभाविक पहचान को छिपाने या अपनी प्रकृति-प्रदत्त यौनिकता के कारण भय के साये में जीने को विवश है।

धारा 377 का ऐतिहासिक अंत और NALSA निर्णय (2014) जैसे न्यायिक मील के पत्थर इस समुदाय के जीवन में एक "नया सवेरा" और उम्मीद की किरण अवश्य लेकर आए हैं, किंतु हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह किसी मंजिल की प्राप्ति नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण यात्रा की मात्र शुरुआत है। समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता, पारिवारिक और सामाजिक स्वीकार्यता, स्कूलों व विश्वविद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त शिक्षा का वातावरण, तथा कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिन्हें अभी धरातल पर पूरी तरह हासिल किया जाना बाकी है।

हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सनातन दर्शन का मूल उद्घोष *"वसुधैव कुटुंबकम्"* (संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है) और *"सर्वे भवन्तु सुखिनः"* (सभी सुखी हों) तभी चरितार्थ और सार्थक होगा, जब हम हर रंग, हर विविधता, हर लैंगिक पहचान और हर सच्चे प्रेम को बिना किसी संकीर्णता या पूर्वाग्रह के खुले दिल से स्वीकार करेंगे। एक समावेशी, संवेदनशील, समतामूलक और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करना ही इस दिशा में हमारी सच्ची वैचारिक और नैतिक सफलता होगी, जहाँ हर व्यक्ति अपनी अनूठी पहचान के साथ सिर उठाकर गर्व से जी सके।

संदर्भ सूची

1. एन.जी.ओ. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च. (2021). *भारत में जेंडर विविधता, कानूनी सुधार और धरातलीय वास्तविकताएँ: एक गुणात्मक अध्ययन.* सीएसआर पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
2. एनसीईआरटी. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: स्कूली शिक्षा में समावेशन और समता के आयाम.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.
3. एनएचआरसी. (2020). *ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार और कल्याण पर रिपोर्ट.* राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली.
4. जैन, अ. (2017). *लैंगिक पहचान, कानून और समाज.* सेज पब्लिकेशन.
5. जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स. (2022). भारतीय न्यायपालिका और मानवाधिकार: एक विधिक विश्लेषण. *भारतीय विधि समीक्षा*, 18(3), 45–62.

6. नारायण, ए., एवं गुप्ता, ए. (2020). *आज़ादी के बाद का भारत और क्वीर अधिकार आंदोलन.* राजकमल प्रकाशन.
7. पट्टनायक, द. (2014). *शिखंडी एंड अदर टेल्स दैट टेल यू.* जुबान बुक्स.
8. बक्शी, उ. (2018). *संवैधानिक नैतिकता और मानवाधिकार: धारा 377 का विश्लेषणात्मक अध्ययन.* लॉ मैन अकैडमिक्स.
9. मेहरा, श. (2021). भारत में क्वीर साहित्य और सामाजिक अस्मिता. *समालोचना जर्नल,* 8(1), 77–92.
10. यूएन ओएचसीएचआर. (2019). *यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान के आधार पर मानवाधिकारों का संरक्षण: अंतर्राष्ट्रीय मानक और संधियाँ.* संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च कमिश्नर कार्यालय.
11. यूनेस्को. (2019). *बिहाइंड द नंबर्स: एंडिंग स्कूल वियाु लेंस एंड बुलीइंग.* यूनेस्को पब्लिशिंग.
12. राव, एम. (2020). शिक्षा प्रणाली में समावेशिता और जेंडर संवेदीकरण. *शैक्षणिक विमर्श,* 12(3), 45–58.
13. वर्मा, के. (2021). *भारतीय समाज और लैंगिक विविधता: परंपरा से आधुनिकता तक.* वाणी प्रकाशन.
14. विधि और समाज त्रैमासिक. (2022). धारा 377 के उपरांत भारतीय समाज में बदलाव: चुनौतियाँ और कानूनी परिदृश्य. *विधि विमर्श,* 14(2), 115–130.
15. विधि आयोग भारत सरकार. (2024). *पारिवारिक कानूनों और नागरिक अधिकारों पर विमर्श रिपोर्ट.* विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली.
16. शर्मा, आर. (2022). सामाजिक बहिष्कार और भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की आर्थिक स्थिति. *भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका,* 45(2), 112–128.
17. सिंह, पी. (2019). *मानवाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार: विधिक आयाम.* लोकभारती प्रकाशन.
18. सोशियोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज जर्नल. (2023). हाशिए के समुदाय और आधुनिक भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्कार की गतिशीलता. *समाजशास्त्र पत्रिका,* 29(1), 88–104.
19. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय. (2014). *नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम भारत संघ एवं अन्य,* WP (Civil) No. 400/2012.
20. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय. (2017). *जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ,* WP (Civil) No. 494/2012.

21. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय. (2018). *नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ*, WP (Crl.) No. 76/2016.
22. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय. (2021). *लेफ्टिनेंट कर्नल निति‌शा एवं अन्य बनाम भारत संघ*, Civil Appeal No. 5318/2020.
23. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय. (2022). *दीपिका सिंह बनाम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल*, Civil Appeal No. 5488/2022.
24. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय. (2023). *सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ*, WP (Civil) No. 1011/2022.